मध्य प्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
::आदेश::

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019

क्रमांक एफ 1-2/2012/56 - राज्य शासन द्वारा जारी सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2012 (यथासंशोधित 2014) के अंतर्गत प्रावधान है कि "सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति के अंतर्गत छूट ओर प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु आवेदक कंपनियों को राज्य शासन द्वारा अधिसूचित प्राधिकृत एजेंसी के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी इकाई के रूप में मान्य होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा | " सूचना प्रौद्योगिकी इकाई के रूप में मान्य होने का प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम को प्रदत्त हैं | प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 05 वर्ष है |

2. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2012 (यथासंशोधित 2014) के अंतर्गत जारी आईटी ईकाई के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की व्यवस्था नहीं है, जबकि विभागीय आदेश दिनांक 01/12/2014 के अनुसार भवन किराये की प्रतिपूर्ति 05 वर्ष तथा आदेश दिनांक 17/11/2014 के अनुसार ब्याज अनुदान की पात्रता 07 वर्षों के लिये देय है | आवेदक इकाई को अनुमत्य अनुदान / अनुदानों का भुगतान निर्धारित समयावधि तक सुनिश्चित किये जाने के लिये आईटी ईकाई प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने के लिये प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम को अधिकृत किया जाता है | प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा आईटी इकाई प्रमाण पत्र का नवीनीकरण उस अवधि तक ही किया जा सकेगा, जिस अवधि तक आवेदक कंपनी को अनुमत्य अनुदान / अनुदानों का भुगतान पूर्ण हो सके | अतः नवीनीकृत आईटी इकाई प्रमाण पत्र की वैधता अवधि प्रमाण पत्र में आवश्यक रूप से दर्ज की जाये|

3. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति 2012 (यथासंशोधित 2014) के अंतर्गत ब्याज अनुदान, कुशलता अंतराल प्रशिक्षण व्यय, भवन किराये पर अनुदान तथा पूजीगत निवेश अनुदान की पात्रता इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन किये जाने की तिथि से देय है | कतिपय प्रकरणों में इकाई द्वारा व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात आईटी इकाई प्रमाण पत्र के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, परिणामस्वरूप इकाई के आईटी इकाई प्रमाण पत्र की तिथि उसके व्यावसायिक उत्पादन की तिथि के पश्चात होती है | ऐसी स्थिति में आवेदक इकाई को अनुदान की पात्रता व्यावसायिक उत्पादन की तिथि से मान्य की जाये |

4. इस आदेश के जारी होने की तिथि के पूर्व लंबित प्रकरणों का निराकरण आदेश के अनुसार किया जाये | पूर्व में निराकृत प्रकरणों को पुनः खोले जाने की आवश्यकता नहीं होगी |

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(तरूण राठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग